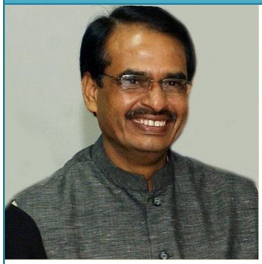

# "मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना"

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शहरी अधोसंरचना विकास
मध्यप्रदेश शासन

## अनुक्रमणिका

1. पृष्ठभूमि 3
2. अवधारणा 3
3. योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य 4
4. योजना की अवधि 4
5. योजना का दायरा 4
6. रणनीति 4
7. संस्थागत ढांचा 4
8. अपेक्षित परिणाम 5

# मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

## 1. पृष्ठभूमि :

वर्तमान परिदृश्य में बढते शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों की अधोसंरचना व्यवस्था पर अत्याधिक दबाव पड़ रहा है। प्रदेश तथा देशभर में अधोसंरचनात्मक मांग की पूर्ति एक प्रमुख चुनौती बन कर उभर रही है। अधिकांश नगरीय निकाय अधोसंरचनात्मक प्रावधानों हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं।

''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' नगरों के सुनियोजित विकास हेतु आवश्यक अधोसंरचना के वित्तपोषण हेतु लक्षित है। अधोसंरचनात्मक कार्यो के अंतर्गत मुख्यतः सड़क तथा यातायात एवं नगरीय पुनरुद्धार हेतु राज्य शासन द्वारा अनुदान के रुप में वित्तपोषण किया जाएगा। जल प्रदाय, स्वच्छता जैसे घटकों का इस योजना में समावेश न करते हुए राज्य शासन की इस हेतु घोषित अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण किया जायेगा। ''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत विभिन्न निकायों को नगर विकास योजना (CDP) तैयार करना आवश्यक होगा एवं नगर विकास योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर ही निकायों को विभिन्न कार्यो हेतु अनुदान दिया जायेगा।

नगर विकास योजना :– नगर विकास योजना किसी भी शहर के भावी विकास के लिए आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करती है। सी.डी.पी., शहर की वर्तमान व्यवस्था को प्रस्तुत करती है तथा उस शहर की आवश्यकताओं का आंकलन भी करती है। यह समस्त कार्यवाही शहर के हितधारकों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा आम नागरिकों से सतत् विचार विमर्श के उपरांत की जाती है। वर्तमान व्यवस्था तथा आवश्यकताओं के बीच की कमियों (Gap) को दूर करने के लिए क्या दिशा होनी चाहिए तथा इसकी पूर्ति के लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी, उसका प्रथम दृष्टया आकलन करती है। सी.डी.पी. इस आंकलित धन राशि को कैसे जुटाया जा सकता है, इसका भी अनुमान लगाती है। यह समस्त कार्यवाही अगले 25 वर्षो के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

भारत में नगर विकास योजना (CDP) तैयार करने का कार्य पहली बार जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किया गया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त नगरों को सुनियोजित कर विकास करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों, 91 नगरपालिकाओं तथा 5 नगर परिषदों (पवित्र शहर) के सीडीपी तैयार कराये जा चुके है तथा 5 नगर पालिकाओं एवं 245 नगर परिषद्ों की सी.डी.पी. तैयार कराई जा रही है।

प्रदेश के सभी नगरों में अधोसंरचना विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्रीजी द्वारा '' **मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना**'' प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

## 2. अवधारणा :

'' **मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना**'' प्रमुख रुप से प्रदेश के उन नगरीय क्षेत्रों हेतु लक्षित है जो विगत वर्षो से अधोसंरचना विकास की समस्या से जूझ रहे हैं अथवा ऐसे निकाय जिनमें अधोसंरचनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन राशि की कमी के कारण लंबित है। योजना अंतर्गत म.प्र. शासन का यह प्रयास है कि प्रदेश के सभी नगरों को आवश्यक राशि उपलब्ध करा कर अधोसंरचनात्मक योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन किया जा सके।

### 2.1 उद्देश्य

''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

- मध्यप्रदेश के सभी शहरों में मानक अनुसार अधोसंरचना का प्रावधान करना।
- निजी जन भागीदारी/अभिनव योजनाओं द्वारा उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन।

### 2.2 लक्ष्य कथन

''सुन्दर एवं स्वच्छ शहर''

## 3. योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य

✓ स्वीकार योग्य – नगर विकास योजना में चिन्हाकित अथवा स्थानीय अत्यावश्यक कार्य जैसे – सड़क तथा यातायात, नगरीय सौदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास (सामुदायिक भवन, छात्रावास, उद्यान), धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन संबंधित नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन (पेयजल तथा स्वच्छता संबंधित योजनाओं का क्रियान्यन मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना एवं एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम में किया जाएगा)।

## 4. योजना की अवधि

✓ प्रारंभिक तौर पर यह योजना 10 वर्षो के लिये प्रस्तावित है।

## 5. योजना का दायरा

✓ योजनान्तर्गत म.प्र. के सभी नगरीय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद्) शामिल रहेंगे।

## 6. रणनीति

### 6.1. कार्ययोजना

1. प्रथम चरण में संचालनालय द्वारा भारत की प्रतिष्ठित विशेषज्ञ फर्मस का चयन कर 10 नगर निगम, 91 नगरपालिकाएं एवं 5 ऐसी नगर पंचायते हैं जो पवित्र नगर भी है, के सी.डी.पी. तैयार कराये गये है। दूसरे चरण में प्रदेश की शेष 5 नगरपालिकाओं तथा 250 नगर परिषदों की सी.डी.पी. तैयार करने हेतु विशेषज्ञों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

2. खण्ड 3 में वर्णित सभी कार्यो के लिए वास्तविक सी.डी.पी. के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा डी.पी.आर. तैयार किये जायेगें। उनका परीक्षण सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता के अनुसार किया जाकर स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

3. किसी भी निकाय को मुख्यमंत्री अधोसंरचनात्मक विकास योजना के अन्तर्गत दो वर्ष में अधिकतम 02 योजना हेतु राशि प्रदान की जा सकेगी, बशर्ते की प्रथम योजना एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर ली गई हो।

   राज्य शासन द्वारा इन योजनाओं हेतु प्रत्येक वर्ष निम्नानुसार अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जायेगीः–

| श्रेणी | निकाय संख्या | अधिकतम अनुदान राशि | कुल अनुदान (राशि रू. करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| नगर निगम | 4 नगर निगम<br>10 लाख से अधिक आबादी (भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) | 5 करोड़ प्रतिवर्ष | 20 |
|  | शेष 10 नगर निगम (देवास, उज्जैन, खण्डवा, रतलाम, बुरहानपुर, कटनी, सागर, रीवा, सिंगरौली एवं सतना) | 3 करोड़ प्रतिवर्ष | 30 |
| नगर पालिका | 97 | 2 करोड़ प्रतिवर्ष | 194 |
| नगर परिषद् | 257 | 1 करोड़ प्रतिवर्ष | 257 |
| **कुल** |  |  | **501** |

4. योजना में वित्तीय संसाधनों हेतु नियोजित प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिसमें कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर विस्तृत परियोजनाऍं तैयार की जायेंगी। निकाय द्वारा तैयार परियोजनाओ को जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कर राज्य योजना आयोग ( District Plan) अन्तर्गत अनुदान दिया जायेगा। इस प्रक्रिया से जिला कलेक्टरों द्वारा योजनाओं के सतत् पर्यवेक्षण होने से कार्य की गुणवत्ता में सुधार आयेगा एवं विकेन्द्रीकृत निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शहरी सुधार कार्यक्रम के अनुरुप निकायों को सुधार कार्यो के क्रियान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा।

6. इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की सतत् मानिटिरिंग जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी।

7. नगरों के चयन हेतु प्राथमिकता का आधार
   अ– जिला मुख्यालय एवं धार्मिक महत्व के शहर/पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर।
   ब– अन्य नगर।

**आवश्यक शहरी सुधार कार्य**

अ– प्राथमिकता वाले नगरों में भी उन नगरों का चयन किया जायेगा जिनकी सम्पत्ति कर वसूली का प्रतिशत 50 से अधिक हो। इसके अतिरिक्त इन चयनित नगरों हेतु यह आवश्यक होगा कि ये नगर योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति उपरांत अगले 3 वर्षों में 85 प्रतिशत सम्पत्ति कर वसूली करें।

### 6.3 वित्तीय व्यवस्था

''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत अधोसंरचनात्मक कार्यो के क्रियान्वयन के लिए बहुत अधिक धन राशि की आवश्यकता है। योजना क्रियान्वयन हेतु इस वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट में राशि रू. 125.00 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। शासन द्वारा बजट में प्रावधानित राशि संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों को 4 किश्तों में योजना की सतत् मॉनिटिरिंग के आधार पर दी जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि रू. 501.00 करोड़ तथा वर्ष 2013–14 में राशि रू. 501.00 करोड़ का प्रावधान किया जायेगा। इसके उपरान्त आवश्यकता अनुसार राशि का प्रावधान किया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत निकायों के विकास योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम म.प्र. जनभागीदारी नियम 2000 के वित्तीय मापदण्डों के अनुसार प्रदाय की जायेगी।

### 6.4. सड़क एवं शहरी यातायात

सड़क निर्माण एवं मरम्मत, चौराहों के विकास कार्य हेतु निम्नानुसार वित्तीय योगदान दिया जाना प्रस्तावित है।

अ. नगर निगम हेतु :– 50 % अनुदान राज्य शासन एवं 50 % निगम अंशदान।
ब. नगर पालिका हेतु :– 70 % अनुदान राज्य शासन एवं 30 % नगर पालिका अंशदान।
स. नगर परिषद् हेतु :– 80 % अनुदान राज्य शासन एवं 20 % नगर परिषद् अंशदान।

यदि सड़क एवं शहरी यातायात से संबंधित कार्यो को जनभागीदारी द्वारा किया जाता है तो जनभागीदारी से प्राप्त राशि को निकाय के अंशदान में शामिल माना जायेगा।

### 6.5. अन्य कार्यो हेतु

स्ट्रीट लाइट, सौन्दर्यीकरण (उद्यान, फब्बारों आदि) एवं अन्य कार्य जैसे खेल मैदान, सामुदायिक भवन एवं धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन कार्यो हेतु निकायों को अनुदान राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार दिया जाना प्रस्तावित है।

अ. नगर निगम हेतु : 25% अनुदान राज्य शासन, 25% निगम एवं 50% अंशदान जनभागीदारी।
ब. नगर पालिका हेतु : 30% अनुदान राज्य शासन, 20% नगर पालिका एवं 50% अंशदान जनभागीदारी।
स. नगर परिषद् हेतु : 40% अनुदान राज्य शासन, 10% नगर परिषद् एवं 50% अंशदान जनभागीदारी।

*(खण्ड 6.5 में वर्णित कार्यो हेतु विकास योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा बनाये गये म.प्र. जनभागीदारी नियम 2000 के वित्तीय मापदण्डों के अनुसार भी प्रदाय की जा सकेगी। जिसके अनुसार विशिष्ट मोहल्लों एवं कालोनीयों के नागरिक यदि कोई विकास कार्य करना चाहते है, और कार्य की लागत का 50 प्रतिशत भार वहन करना चाहते है तो शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रुप में दिया जायेगा।)*

## 7 संस्थागत ढांचा

### 7.1 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति

माननीय मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें माननीय विभागीय मंत्रीजी के साथ अन्य विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। यह समिति नगरीय विकास को नियोजित रुप से बढ़ावा देने अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने तथा प्रचलित कार्यों का मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन | अध्यक्ष |
| 2. | माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सदस्य |
| 3. | मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सदस्य सचिव |
| 5. | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 6. | प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग | सदस्य |
| 7. | प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 8. | आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सदस्य |

### 7.2 राज्य स्तरीय अधोसंरचना विकास समिति (कार्यकारी)

समय समय पर यह समिति योजना की समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करेगी। योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के सुधार हेतु समिति अपनी राय तथा रणनीतिक दिशा निर्देश भी प्रदान करेगी। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग, समिति के अध्यक्ष होंगे तथा समिति का निर्माण विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों को सदस्य के रूप में मिलाकर किया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 3. | प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 5. | आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सदस्य सचिव |
| 6. | आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश | सदस्य |

### 7.3 जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति को, योजना के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगरीय विकास से संबंधित योजनाओं के अनुमोदन, विकास कार्यो के प्रगति की समीक्षा करने, मार्गदर्शन प्रदान करने, तथा दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। समिति के पास गैर–शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। गैर–शासकीय संगठनों का नामांकन अलग से जारी दिशा निर्देश के आधार पर किया जाएगा। कलेक्टर, जिले में नगरीय विकास से संबंधित कार्यो के

पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा जो परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण भी हो सकता है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | स्थानीय नगरीय निकायों के आयुक्त/महापौर | सदस्य |
| 3. | स्थानीय नगरीय निकायों के मुख्य नगर पलिका अधिकारी/अध्यक्ष | सदस्य |
| 4. | गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | व्यावसायिक/व्यापारी/रहवासी संघ के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. | परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण | सदस्य सचिव |

राज्य स्तर पर अनुमोदन उपरान्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान विमुक्त करने करने का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति का होगा।

### 7.4 क्रियान्वयन संस्था

''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा। योजना तैयार करने हेतु एवं निकाय स्तर पर संबंधित निर्णय का अधिकार परिषद् का होगा।

परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियिम 1956, म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के तथा इनके अंतर्गत बनें नियमों के अनुसार किया जावेगा।

### 8. अपेक्षित परिणाम

(a) नगरों का सुनियोजित विकास एवं पर्यावरणीय सुधार।